मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 184 / 2024

1. इकबालसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति बावरी निवासी भूकिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादी

बनाम

1. हरबंश कौर पुत्री दर्शनसिंह पत्नी नक्षत्र सिंह जाति बावरी निवासी रामसिंह वाली ढाणी, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. माया देवी पुत्री दर्शनसिंह पत्नी सेठुराम जाति बावरी निवासी सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 27.08.2024

वादी की ओर से श्री महेश गौड अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जीतसिंह सन्धू की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.08.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 8 के.एच.आर. के संयुक्त खाता संख्या 64 / 61 में कुल 4.048 हैक्टर आराजी में से दर्शनसिंह के 1 / 4 हिस्सा की आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 8 के.एच.आर. के खाता संख्या 64 / 61 मे से दर्शनसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। य[illegible]ज दिनांक 27.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:43:38 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner